

न्यायालय तहसीलदार परबतसर (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का खोखर
बनाम

अप्रार्थी :- श्री हेमाराम पुत्र रामुराम जाट निवासी धोकलिया
अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956
प्रकरण संख्या 81/17

निर्णय 26.09.2017

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का खोखर ने अप्रार्थी के विरुद्ध टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सवत् 2074 में सरहद धोकलिया के खसरा नम्बर 113 किस्म गै.मु.रास्ता में रकबा 0.001 है. भूमि में बाड़ लगा कर कर अतिक्रमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस दिया गया। अप्रार्थी के पड़ोसी से नोटिस तामिल हुआ जो शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी दिनांक 22.9.2017 को उपस्थित होकर जबाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। जबाब में बताया कि मुझ प्रार्थी द्वारा सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटा लिया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का मौजा धोकलिया के खसरा नम्बर 113 किस्म गै.मु.रास्ता में रकबा 0.01 है. भूमि पर अतिक्रमण किया है।

प्रस्तुत पटवारी रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी का मुतनाजा भूमि पर अतिक्रमण पाया गया है अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 5 रूपये प्रति हैक्टेयर की दर से अतिक्रमित रकबा 0.01 है. भूमि के 0.20 रूपये लगान का 50 गुणा 10/- अक्षरे दस रूपये बतौर जुर्माना कायम किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी कर वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। बाद तकमील पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

तहसीलदार परबतसर

17-18 के पृष्ठ सं. 6
10/-
तहसीलदार परबतसर

तहसीलदार परबतसर